न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 58 / 2023 दिनांक :– 30 / 4 / 2026

1 भंवरलाल पुत्र स्व. रामकरण राम जाति जाट छिरंग निवासी ग्राम रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू आधार नम्बर 8407 7667 7278 मोबाईल नम्बर 9351834971

प्रार्थी

बनाम

1 गजयसिंह पुत्र स्व. उगमसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
2 देवीसिंह पुत्र स्व. उगमसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
3 अजयसिंह पुत्र स्व. उगमसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
4 हुकमाराम पुत्र भैराजाराम जाति जाट निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
5 ताराचन्द पुत्र डावाराम जाति जाट निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
6 रेखाराम पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
7 धुड़ाराम पुत्र हिम्मताराम जाति जाट निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
8 केशाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
9 जगदीश प्रसाद पुत्र बिरमाराम जाति जाट निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
10 प्रेमाराम पुत्र तोलाराम जाति जाट निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
11 मॉगीलाल पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
12 मोहनराम पुत्र डूँगरराम जाति जाट निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
13 लालचन्द पुत्र श्रवणराम जाति जाट निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
14 सुरेशचन्द्र पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
15 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान नायब तहसीलदार, उप तहसील कार्यालय कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महो. तहसील कार्यालय बीदासर चूरू
17 उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बीदसर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा सपठित धारा 151 सी. पी. सी.

इस आदेश के द्वारा प्रार्थी भंवरलाल पुत्र स्व. रामकरण राम जाति जाट छिरंग निवासी ग्राम रेड़ा तहसील बीदासर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा सपठित धारा 151 सी. पी. सी. का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :–

लगातार....2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत वर्तमान खाता नम्बर 41 खसरा नम्बर 561/348 रकबा 3.3007 हैक्टेयर (13–01 बीघा) वाके रोही ग्राम रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थी भंवरलाल का 10/261 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में चल रहा है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 का खान पान लेन देन सब अलग अलग है तथा वादगत खेत में भी अपने अपने हिस्सा को भी अलग अलग ही काश्त करते आ रहे, अलग अलग सीमा कायम है वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 561/348 रकबा 3.3007 हैक्टेयर में से प्रार्थी भंवरलाल का 10/261 हिस्सा भूमि पूर्व खातेदार उगमसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रेडा प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के पिता से जरिये पंजीकृत विक्रय लेख पत्र सम्पादित पंजीकृत तारीख 4/5/2010 के आधार पर खरीद शुदा है वादगत भूमि खेत रोही ग्राम रेडा में आबादी रेडा के दक्षिणी पूर्वी तरफ चिपती होने के कारण तत्समय की निर्धारित प्रचलित दर का तीन गुना से मुल्याकंन किया जाकर मुद्रॉक शुल्क अदा किया जाकर प्रार्थी की अपनी हिस्सा भूमि खरीद शुदा है वादगत भूमि खेत में प्रार्थी की खरीद शुदा भूमि तादादी 0–10 बिश्वा के आसे पासे निम्नाकिंत प्रकार से है उत्तर रास्ता खेतों का हाल पक्की काली सड़क, दक्षिण श्मसान भूमि, पूर्व बाकी भूमि खसरा, पश्चिम भूमि जो ताराचन्द को बेचि जारही है। वादगत खसरा भूमि खेत में प्रार्थी की खरीद शुदा भूमि खरीद के वक्त से विक्रय पत्र में वर्णित आसे पासे मुताबिक प्रार्थी अपनी हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है जिसमें प्रार्थी की पुख्ता पक्की बारहमासी गुवाड़ी मकानात निर्मित है जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित निवास करता है प्रार्थी को विक्रय करने के उपरान्त अप्रार्थी सख्या 1 ता 3 के पिता उगमसिंह द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से भूमि तादादी 0–10 बिश्वा अप्रार्थी सख्या 5 ताराचन्द को विक्रय की गई। तत्समय खातेदार उगमसिंह द्वारा अपने खसरे के दक्षिणी तरफ स्थित श्मसान भूमि में आने जाने वास्ते आमजन के लिए आवागमन का रास्ता प्रार्थी के पश्चिमी तरफ छोड़ा जाकर भूमि तादादी 0–10 बिश्वा अप्रार्थी सख्या 5 ताराचन्द को विक्रय की गई थी जिसका कब्जा अप्रार्थी सख्या 5 ताराचन्द का आज दिन कायम है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 5 के बीच उतर से दक्षिण श्मसान भूमि तक आवागमन का रास्ता खातेदार उगमसिंह की खातेदारी हिस्सा भूमि में से छोड़ा हुआ है प्रार्थी अपनी खरीद शुदा हिस्सा भूमि खरीद के वक्त से उपयोग उपभोग में ले रहा है प्रार्थी की खरीद शुदा भूमि उतरी तरफ के रास्ता सड़क से लेकर दक्षिणी तरफ श्मसान भूमि तक प्रार्थी के उपयोग उपभोग में है जिसके प्रार्थी की पुख्ता पक्की सीमा तारबन्दी कातले रोपे हूए है, दिवार बनाई हुई है तथा वादगत भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 ता 14 का आपसी तौर पर विभाजन मौखिक रूप से किया हुआ है परन्तु वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। जिसके कारण प्रार्थी को कई प्रकार की कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 सींमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है जिसके कारण प्रार्थी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहता है जिसका प्रार्थी कानूनी अधिकारी है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 वादगत खेत की सींवों को काट कर समाप्त कर देते है, आवागमन के रास्ता को लेकर विवाद करते है कई वार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जवरन कब्जा करेगें, अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 ने प्रार्थी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह वना लिया है प्रार्थी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है प्रार्थी ने

लगातार....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चुरू)

अप्रार्थीगण से अन्तिम बार दिनांक 30–08–2023 को निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेत का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है जब तब प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 सख्या व बल में अधिक होने तथा पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू–माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में प्रार्थी असमर्थ है इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से अप्रार्थीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेत का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण, बैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हक हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना प्रार्थी को उसके हक हिस्सा की भूमि से जबरन बैदखल करें, वादगत भूमि खसरा में प्रार्थना पत्र में वर्णित आसे पासे की खातेदारी हिस्सा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा में संयुक्त खातेदार एवं सयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से प्रार्थी को सतत वादाधार प्राप्त है तथा अप्रार्थीगण द्वारा 30–08–2023 को ऐलानिया धमकी देने व विभाजन करने से साफ इन्कार होने पर प्रार्थी को वाद हैतुक प्राप्त है वादगत खेत वाके रोही रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान् जी के न्यायालय को हर प्रकार से प्राप्त है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि ताफैसला मूल वाद खसरा नम्बर 561/348 रकबा 3.3007 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सख्या 11, 14 की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। अप्रार्थी सख्या 4, 7, 9, 10 की और से इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। मूल दावा में बाकी अप्रार्थीगण की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीया सख्या 11 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती का जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया।

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कम संख्या 1 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवानी दावा अप्रार्थी संख्या 11 का रास्ता बन्द करने की नियत से प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कम संख्या 2 में अंकित तथ्य स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कम संख्या 3 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है वादगत खेत में आबादी बसी हुई है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा ईंटों की ग्रेवल सड़क निर्मित की हुई है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की कम संख्या 4 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। वादगत भूमि के पश्चिमी ओर ताराचंद की भूमि नहीं होकर ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते पर निर्मित ईंटों का खुरा व श्मसान के पास स्थित चौक में भी ईंटों का खुर्रा निर्मित है। उक्त

लगातार....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (चूरू)

चौक पर प्रार्थी ने अतिक्रमण कर रखा हैजिसके कारण अप्रार्थी सख्या 11 के बाड़ा का रास्ता बन्द हो चुका है इसलिए अप्रार्थी सख्या 11 ने तहसीलदार महोदय बीदासर को रास्ता खुलवाने हेतू दिनांक 30.5.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार महोदय ने पटवारी गिरदावर को जांच रिपोर्ट हेतू आदेशित किया। जिसक तहत दिनांक 106.2023 को पटवार हल्का ने मौका रिपोर्ट तैयार की। उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने उक्त रास्ता व चौक की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित ईटों की सड़क के कारण इस पर अधिकारीता ग्राम पंचायत की होना अंकित किया। इसलिए तहसीलदार महोदय बीदासर ने उक्त प्रार्थना पत्र मय पटवारी रिपोर्ट अपने कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2023/166 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति बीदासर को प्रेषित किया। कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति बीदासर ने अपने पत्र कमांक पंचायत/जांच/2023/1301–04 दिनांक 27.07.2023 को उक्त प्रकरण को ग्राम पंचायत रेड़ा को कार्यवाही हेतू भेजा गया। ग्राम पंचायत रेड़ा द्वारा अप्रार्थी को कमांक 2023–24 दिनांक 5.09.2023 के द्वारा खसरा सख्या 561/348 में सार्वजनिक चौक की भूमि पर अतिक्रमण करने के बारे में सूचित किया गया। इस प्रकार प्रार्थी ने उक्त अतिक्रमण को बनाये रखने तथा अप्रार्थी सख्या 11 का दरवाजा बन्द करने की नियत से प्रस्तुत कर असली तथ्यों को छिपा कर एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की कम सख्या 5 में वर्णित अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने खरीद शुदा भूमि का आसा पासा गलत अंकित किया है। दक्षिण में श्मसान भूमि न होकर खसरा नम्बर 561/348 में से छोड़ा गया चौक है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा ईटों का खुर्रा निर्मित है। तथा अप्रार्थी सख्या 11 के बाड़े का गेट खुलता है। परन्तु प्रार्थी ने उक्त चौक व खुर्रा पर अतिक्रमण कर तारबंदी कर दी है। जिससे अप्रार्थी सख्या 11 का दरवाजा बन्द हो गया है। इसी को बनाये रखने की नियत से गलत विभाजन का दावा प्रस्तुत कर गलत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज योग्य है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की कम सख्या 6 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने अपनी खरीद शुदा भूमि से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। तथा उक्त भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किया हुआ है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की कम सख्या 7 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने अपने व ताराचंद के बीच आवागमन का रास्ता का ही इस बिन्दू में अंकन किया है परन्तु अपनी भूमि के दक्षिण में स्थित चौक की भूमि का कोई अंकन नही किया है जिस पर प्रार्थी ने अवैध अतिक्रमण कर अप्रार्थी सख्या 11 का दरवाजा बन्द कर दिया है। वादगत खसरा पर अवैध आवासीय मकानात निर्मित कर रखे है इसलिए वादगत खसरा पर धारा 177 आरटीएक्ट की कार्यवाही की जानी चाहीए।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की कम सख्या 8 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थी उक्त विभाजन के द्वारा अपनी भूमि के दक्षिणी स्थित चौक की भूमि को छुपा कर इस भूमि को अपनी बता कर विभाजन करवाना चाहता है जबकी उक्त भूमि पर प्रार्थी का अवैध अतिक्रमण है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की कम सख्या 9 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। बनावटी व झूठे तथ्य अंकित किये गये है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की कम सख्या 10 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने वर्णित भूमि का आसापासा गलत अंकित किया है। प्रार्थी की भूमि से दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 561/348 की भूमि है तथा प्रार्थी की भूमि व श्मसान भूमि की बीच स्थित चौक पर ग्राम पंचायत द्वारा ईटों का खुर्रा निर्मित है।

11. यह कि प्रार्थना पत्र की कम सख्या 11 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित खुर्रा की भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को भी पक्षकार बनाना चाहीए था इस वजह से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

लगातार....5 पर

खण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

12. यह कि प्रार्थना पत्र की कम सख्या 12 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र ही अवैध है तो अन्दर मियाद व न्याय शुल्क को वैध नहीं माना जा सकता।

13. यह कि प्रार्थना पत्र का न तो प्रथम दृष्टया मामला वनता है न ही प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन है तथा ना ही प्रार्थी को अपूर्तीय क्षति हो रही है। तथा न ही प्रार्थी ने इन बिन्दूओं को अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। प्रार्थना पत्र केवल ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित चौक की भूमि पर अवैध अतिकमण वनाये रखने व अप्रार्थी सख्या 11 का दरवाजा बन्द रखने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। कृप्या प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

प्रकरण में अप्रार्थी सख्या 4, 7, 9, 10 ने इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वहस प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों को दौहराते हूए निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती का है प्रार्थी की भूमि वादगत खसरा भूमि संयुक्त खातेदारी की है प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 5 के बीच उतर से दक्षिण श्मसान भूमि तक आवागमन का रास्ता खातेदार उगमसिंह की खातेदारी हिस्सा भूमि में से छोड़ा हुआ है प्रार्थी अपनी खरीद शुदा हिस्सा भूमि खरीद के वक्त से उपयोग उपभोग में ले रहा है प्रार्थी की खरीद शुदा भूमि उतरी तरफ के रास्ता सड़क से लेकर दक्षिणी तरफ श्मसान भूमि तक प्रार्थी के उपयोग उपभोग में है जिसके प्रार्थी की पुख्ता पक्की सीमा तारबन्दी कातले रोपे हूए है, दिवार बनाई हुई है तथा वादगत भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 ता 14 का आपसी तौर पर विभाजन मौखिक रूप से किया हुआ है परन्तु वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है जिसके कारण प्रार्थी को कई प्रकार की कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 सींमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है जिसके कारण प्रार्थी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहता है जिसका प्रार्थी कानूनी अधिकारी है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 वादगत खेत की सींवों को काट कर समाप्त कर देते है, आवागमन के रास्ता को लेकर विवाद करते है कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेगें, अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 ने प्रार्थी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है प्रार्थी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करके रहेगे आदि आदि दौराने बहस निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों को दोहराते हूए निवेदन किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष का हकदार नहीं है, क्योकि किसी भी रेकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता, प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारीज किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती व जवाब प्रार्थना पत्र, सम्पूर्ण पत्रावली तथा अधिवक्तागण की सुनी गई बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन, विवेचन एवं विश्लेषण किया। प्रार्थी को अपने पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती हेतू निम्नाकिंत तीन विन्दू सिद्ध करने आवश्यक है :–

लगातार.....6 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

1 प्रथम दृष्टया मामला ।
2 सुविधा का सन्तुलन ।
3 अपूर्णनीय क्षति ।

उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबध में वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष की और से अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हूए यह तर्क किया गया कि प्रार्थी का प्रथम दृश्टया मामला है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अप्रार्थी प्रार्थी के हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि को संयुक्त खातेदारी की आड़ में विकय बन्धक हस्तान्तरण कर देगे, खुदबुर्द कर देगे, मौका की स्थिति में परिवर्तन परिवर्धन कर देगे जिससे प्रार्थी को नापुरा होने वाली असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी भी सुरत में संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल दावा के निस्तारण तक अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की जाये।

–: प्रथम दृश्टया मामला:–

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने हेतू जब उपरोक्त तीन बिन्दुओं की विरचना की जाती है उसमें यह बिन्दु अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण प्रकृति का बिन्दु होता है जिसे की तय करते समय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार किया जाना होता है कि वादगत सम्पति पर कब्जा किस पक्ष का है और यह कब्जा शान्तिपूर्ण और निर्विरोध रूप से चला आ रहा है या नहीं। हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से जाहिर स्थिति प्रकट होती है कि वागदत खसरा की भूमि में प्रार्थी की भूमि खरीद के वक्त से है जिस पर कब्जा काश्त है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णितानुसार प्रार्थी पूर्व खातेदारी से खरीद शुदा एवं मौका पर कब्जा काश्त की वाद पत्र में वर्णित आसे पासे की भूमि पर कब्जा दखल चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृश्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध सावित होना प्रतीत होता है।

–: सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति :–

सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति इन दोनो ही विन्दूओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। सुविधा का संतुलन के संदर्भ में न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि किस पक्षकार को अधिक नुकसान या क्षति कारित हुई तथा अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू का निर्धारण करते हूए न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि जो क्षति कारित हूई है, उसकी गणना की जा सकती है या नहीं, और क्या उस क्षति की पूर्ती धन से की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अप्रार्थीगण द्वारा वादगत भूमि में प्रार्थी के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त की भूमि को विकय बन्धक हस्तान्तरण कर देने, खुदबुर्द कर देने, मौका की स्थिति में परिवर्तन परिवर्धन कर देने से प्रार्थी को नापुरा होने वाली असीम क्षति होने का पूर्ण अंदेशा है। इस सदंर्भ में न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि चुंकि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त विवेचना के कम में तय किया गया है। इस प्रकार ये दोनो बिन्दू भी अप्रार्थी के विरूद्ध एवं प्रार्थी के पक्ष में तय किये जाते है।

लगातार.....7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सैपाऊ (धौलपुर)

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तीनो विन्दु प्रथम दृश्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तीय क्षति, प्रार्थी पक्ष के एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय पाये गये है। जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा प्राप्ती स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि रोही ग्राम रेड़ा के खेत खसरा नम्बर 561/348 रकबा 3.3007 हैक्टेयर में प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि पर प्रार्थी को काश्त करने, फसल लेने, प्रवेश करने से रोके नहीं, विकय वन्धक हस्तान्तरण आदि नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य या फैल नहीं करें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़े। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें। पत्रावली प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30/4/26 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)